नम्बर व
अहकाम जो
की तामील में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चीडवा)
पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस
मुकदमा नं0 1 / 158 / 16 निर्णय दिनांक : 04.05.2018

उनवान

1. हसीना पत्नी लियाकत
2. जन्नीदा पत्नी मुबीन जातियान मेवान निवासियान चीडवा तहसील रामगढ जिला अलवर हाल आबाद ग्राम झण्डा खेडली तहसील रामगढ।

............................वादीगण

बनाम

1. आजाद पुत्र खुशी खां
2. हन्नु पुत्र खुशी खां जातियान मेव निवासियान ग्राम चीडवा तहसील रामगढ

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 387 रकबा 0.25, 388 रकबा 0.23, 514 / 376 रकबा 0.29, 377 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम चीडवा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी वादीगण की रिकोर्डेड कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जबकि विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। वादी के अलवा अन्य दीगर व्यक्तियों का कोई हक व हिस्सा नही है। प्रतिवादीगण लटठ के बल पर जबरन कब्जा करना चाहते है। आये दिन कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वोह विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 387 रकबा 0.25, 388 रकबा 0.23, 514 / 376 रकबा 0.29, 377 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम चीडवा तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, मौके की शक्ल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीडवा में दिनांक 04.05.2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

पत्रावली का लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट चीडवा में दिनांक 04.05.2018 को निस्तारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के [illegible] पर वादीगण खातेदार है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 387 रकबा 0.25, [illegible] रकबा 0.23, 514/376 रकबा 0.29, 377 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम चीडवा तहसील रामगढ़ जिला अलवर के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, मौके की शक्ल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चीडवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

व सरोकार नही है। लेकिन प्रतिवादीगण बदमाश व लडाकू किस्म के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट चीडवा)

सीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

दमा न0 1/158/16 निर्णय दिनांक : 04.05.2018

उनवान

1. हसीना पत्नी लियाकत
2. जनशीदा पत्नी मुबीन जातियान मेवान निवासियान चीडवा तहसील रामगढ जिला अलवर हाल आबाद ग्राम झण्डा खेडली तहसील रामगढ।

..............................वादीगण

बनाम

1. आजाद पुत्र खुशी खां
2. हन्नु पुत्र खुशी खां जातियान मेव निवासियान ग्राम चीडवा तहसील रामगढ

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 387 रकबा 0.25, 388 रकबा 0.23, 514/376 रकबा 0.29, 377 रकबा 0.25 हैक्ट0 वाके ग्राम चीडवा तहसील रामगढ जिला अलवर के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें, किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें, मौके की शक्ल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

व सरोकार नहीं है। लेकिन प्रतिवादीगण बदमाश व लड़ाक किस्म के